



Ref no. (केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

## आवेदन फॉर्म हाउसिंग एक्ट 2004

एम्पटी डवैलिंग मैनेजमेन्ट आर्डर (ई डी एम ओ)से सम्बन्धित आवेदन पत्र

यह अनिवार्य है कि आप इस फॉर्म को भरने से पहले नीचे दिए गए नोटस को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। यदि इस फॉर्म को भरने या रेजीडेन्शियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल (आर पी टी) के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, कृपया हमें इस नम्बर पर फोन करें : 0845 600 3178

कृपया सेक्शन 13 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज इस आवेदन फॉर्म के साथ ना भेजें। यदि या जबभी कभी किसी साक्ष्य की जरूरत होगी तो आपको अलग से भेजने के लिए कहा जाएगा। कृपया इस आवेदन फॉर्म के पूर्ण रूप से भर कर फ्रीस तथा बताए गए निश्चित दस्तावेजों सहित उपयुक्त रेंट असेसमेंट पैनल को भेजें(पैनल के पते के लिए अनुलग्नक 3 पेज 11 देखें)।

### मार्गदर्शन नोट

यह प्रयुक्त शब्द "प्रार्थना पत्र" 36 अपील तथा प्रार्थना पत्रों की ओर संकेत करता है जो कि इस फॉर्म के अनुलग्नक 1 पेज 7 पर दर्ज हैं।

### 1. निवेदक(कों) का ब्योरा (यदि अनेक आवेदक हैं तो कृपया अलग शीट पर जारी रखें)

नाम: \_\_\_\_\_

पता (पोस्ट कोड सहित): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

पत्रव्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

टैलीफोन:दिन के समय: \_\_\_\_\_ शाम के समय: \_\_\_\_\_ मोबाइल: \_\_\_\_\_

ईमेल का पता: \_\_\_\_\_

क्षमता (जैसे कि लैण्डलॉर्ड, स्वामी, हाउसिंग आफिसर): \_\_\_\_\_

\* प्रतिनिधि का ब्योरा: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* जहां प्रतिनिधि का ब्योरा दिया गया है, सारा पत्रव्यवहार और आदान प्रदान उन्ही के साथ होगा जब तक ट्रिब्यूनल को सूचित नहीं किया जाता कि वह आगे के लिये कार्य वाहक नहीं हैं।

### 2. विषयोक्त सम्पत्ति का पता (पोस्ट कोड सहित)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. सम्पत्ति का संक्षेप में वर्णन (जैसे कि: विकटोरिअन मैनशॅन बलॉक 12 फलेटो के साथ) और सम्पत्ति के साथ आवेदक का सम्बन्ध**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**4. प्रतिवादी (यो) का ब्योरा यदि निर्णय या आर्डर के विरुद्ध अपील की जा रही हो तो सामान्य स्तर पर प्रतिवादी ही लोकल हाउसिंग अथोरिटी का जारीकर्ता होगा ।**

नाम: \_\_\_\_\_

पता (पोस्ट कोड सहित): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

पत्रव्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

टैलीफोन: दिन के समय: \_\_\_\_\_ शाम के समय: \_\_\_\_\_ मोबाइल: \_\_\_\_\_

ईमेल का पता: \_\_\_\_\_ फॅक्स: \_\_\_\_\_

क्षमता (जैसे कि लैण्डलॉर्ड, स्वामी, हाउसिंग आफिसर): \_\_\_\_\_

**5. लैण्डलॉर्ड का ब्योरा (यदि पहले नहीं दिया गया)**

नाम: \_\_\_\_\_

पता (पोस्ट कोड सहित): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

टैलीफोन: दिन के समय: \_\_\_\_\_ शाम के समय: \_\_\_\_\_ मोबाइल: \_\_\_\_\_

ईमेल का पता: \_\_\_\_\_ फॅक्स: \_\_\_\_\_

## 6. किसी इच्छुक व्यक्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो कृपया अलग शीट जारी करें)

नाम: \_\_\_\_\_  
पता (पोस्ट कोड सहित): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_  
पता (पोस्ट कोड सहित): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_  
पता (पोस्ट कोड सहित): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### मार्गदर्शन नोट

यदि आप उनका नाम और पता जानते हैं तो यहाँ जरूर दर्ज करने चाहिए। कोई इच्छुक या दूसरे व्यक्ति आवेदक या प्रतिवादी के रूप में प्रोसीडिंग में शामिल हो सकते हैं। कोई इच्छुक या दूसरा व्यक्ति या सम्पत्ति सम्बंधित लोकल हाउसिंग एथोरिटी (अगर वो पहले से प्रतिवादी है) तो वे अपील या आवेदन पत्र देने के पात्र हैं।

## 7. आवेदन पत्र का प्रारूप

कृपया प्रार्थना पत्र के उस प्रारूप का उल्लेख करें जो आप बनाना चाहते हैं। ये रेजीडेन्शियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल (आर पी टी) की मदद करेगा यदि आप इस आवेदन पत्र की लिस्ट में दिए गए अनुलग्नक 1 (पेज 7) का इस्तेमाल कर सकते हैं और सम्बन्धित आवेदन पत्र का नम्बर और वर्णन दर्शा सकते हैं।

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

यह आवेदन पत्र के प्रारूप पर निर्भर करता है। ट्रिब्यूनल को इसमें तथ्यों की सच्चाई की जानकारी पाने में विश्वस्त सूचनाये सहायता करती है। कृपया (क) तथा (ख) प्रश्नों को पढ़ें और यथोचित रूप से पूरा करें।

(क) अगर आप किसी आदेश या सूचना की सेवा के विरुद्ध अपील कर रहे हैं तो आपने वो आदेश अथवा नोटिस कब प्राप्त की?

\_\_\_\_\_

(ख) अगर आप अपने लोकल हाउसिंग अथोरिटी के निर्णय के विरुद्ध अपील कर रहे हैं तो वो निर्णय कब हुआ और आपने उसके बारे में कब जाना ?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

कृपया अपने आवेदन पत्र में "आवेदन का आधार" नामक संलग्न प्रोफार्में (पेज 6) पर अपने कंस का आधार लिखें। अपील या आवेदन के लिए समय सीमा का निर्धारण अनुलग्नक 1 (पेज 7) पर लिखा गया है।

## 8. अन्य आवेदन पत्र

क्या आप किसी अन्य हाउसिंग एक्ट 2004 के प्रार्थना पत्र से जुड़े हैं या क्या आप किसी दूसरे प्रार्थना पत्र के बारे में जानते हैं जो इस प्रार्थना पत्र में दी गई प्रोपर्टी या स्वामी के बारे में हो तो कृपया विस्तार से बताएं।

---

---

---

---

---

---

---

---

## 9. क्या हम बिना सुनवाई के आपके आवेदन के साथ निपट सकते हैं?

यदि ट्रिब्यूनल उपयुक्त समझे, और सभी पार्टियां स्वीकार करें, यह हो सकता है कि आपके आवेदन पर केवल लिखित प्रतिवेदन के आधार पर विचार किया जाये।

कृपया हमें बताएं यदि ट्रिब्यूनल इसे उपयुक्त समझे तो क्या आप अपने आवेदन को कागज़ पर हल करने में खुश हैं।

हां

नहीं

**नोट करें:** चाहे आपने कागज़ी कार्यवाही से फैसला करने के लिये कहा हो ट्रिब्यूनल निर्णय ले सकती है कि सुनवाई जरूरी है। आप अन्तिम पादान पर भी सुनवाई के लिए विनती कर सकते हैं।

कृपया इस प्रपत्र को यह मानकर पूरा करें कि इसकी सुनवाई होगी।

## 10. आवेदन पत्र की अत्यावश्यकता

हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या इस कंस को शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता है।

कृपया हमें ये बताएं कि क्या इस कंस के निष्कर्ष की विशेष शीघ्रता है यदि हां तो क्यों?

---

---

---

---

---

---

---

---

## 11. उपलब्धि

यदि कोई ऐसे दिन या तारीखें हैं जिन्हें अगले तीन महीने में प्रयोग करने से हम गुरेज़ करें तो (आपकी सहूलियत के लिये या किसी गवाह या माहिर की सहूलियत के लिये जिसे आप बुलाना चाहते हैं) कृपया उनकी सूची यहां दें:

तारीखें जिनपर आप उपलब्ध नहीं होंगे:

---

---

---

---

## 12. स्थान की आवश्यकता

यदि आपकी या आपके साथ आने वाले किसी की कोई खास आवश्यकताये हैं तो कृपया उनका ब्योरा प्रदान करें (जैसे कि व्हील चेअर का प्रयोग/या दुभाषीये का मौजूद होना):

---

---

---

---

---

लंडन में, केस आम तौर पर केस अलफ्रेड प्लेस में सुने जाते हैं जो पूरी तरह व्हील चेअर द्वारा पहुँच के योग्य है। अन्य स्थानों पर, सुनवाई लोकल सम्मेलन स्थानों में होती है जो सभी इतनी आसानी से पहुँच के योग्य नहीं हैं और क्लर्कों को यह जानना लाभकारी लगेगा यदि आपकी या आपके साथ सुनवाई पर आने वाले किसी की इस प्रकार की कोई खास जरूरत है।

## 13. दस्तावेज

आपके आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद आपके केस की सहायता हेतु आपसे दस्तावेजों के नम्बर (जैसे वण्डल से संदर्भित) प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यद्यपि इस स्थिति में आपको इस फार्म के अनुलग्नक 2 (पेज 9) में कहे गए दस्तावेज जरूर लगाने चाहियें जो दिए जाने वाले आवेदन पत्र से सम्बंधित हैं। इन दस्तावेजों को लगाने में असफल रहने पर आपको प्रार्थना पत्र देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल को अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ने पर आपको बाद में कहा जाएगा।

## 14. शुल्क

अधिकांशतया आवेदक £ 150 की फीस की ओर ध्यान देते हैं। कृपया "क्या फीस देय है" की निश्चितता के लिए अनुलग्नक 1 (पेज 7) देखें।

## 15. बैंकलिस्ट /जाँच सूची

कृपया बैंक करें:

- कि आपने यह फार्म पूरी तरह से भरा है। ट्रिब्यूनल तब तक आपके आवेदन पर कार्यवाही नहीं करेगा जब तक यह नहीं होता। कृपया निश्चित करें कि आपके आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेजों और फीस की प्रतिलिपी दोनों लगाये हैं:
- आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपी संलग्न की गई है।
- फीस(यदि देय है) हेतु एक क्रॉसड बैंक या पोस्टल आर्डर संलग्न है। कृपया जो बैंक आप भेजें उसके पीछे अपना नाम और पता लिख दें।

किसी भी हालत में नकदी न भेजें। नकद अदायगी स्वीकार नहीं की जायेगी और जिस आवेदन के साथ नकदी भेजी जायेगी उसे प्रार्थी को वापिस लौटा दिया जायेगा।

डिपार्टमेंट फार कम्प्यूनिटीस एण्ड लोकल गवर्मेंट को पेबल क्रॉसड बैंक, या उनकी फेवर में ड्रा किये पोस्टल आर्डर द्वारा फीस अदा की जानी चाहिये।

### शुल्क माफी

अगर आप निश्चित आय से सम्बंधित लाभ प्राप्त करते हैं तब आप फीस माफी का आवेदन पत्र देने के पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रार्थना पत्र के साथ पैनेल ऑफिस से संपर्क करें और वे आपको निश्चित लाभ की पात्रता का फार्म भेजेंगे।

## 16. सच्चाई का ब्यान

मेरा यकीन है कि इस आवेदन में दिये गये तथ्य सत्य हैं।

हस्ताक्षर:

नाम (बड़े अक्षरों में):

तिथी:

**आवेदन पत्र का आधार**

आप जो अपील करने जा रहे हैं या जो प्रार्थना पत्र बनाने जा रहे हैं उसके लिए कृपया नीचे दिये स्थान का प्रयोग करें

आवेदन पत्र का प्रारूप \_\_\_\_\_

आवेदन पत्र का आधार (यदि जरूरत हो तो कृपया अलग शीट का प्रयोग करें)

**अनुलग्नक 1: एम्पटी डवैलिंग मैनेजमेन्ट आर्डर के संदर्भ में हाउसिंग एक्ट 2004 के अधीन रेजीडेन्शियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल को दिए जाने वाले प्रार्थना पत्रों की सूची ।**

क्रम संख्या के प्रथम कॉलम में (\*) चिन्ह इस बात को इंगित करता है कि इस प्रार्थना पत्र के साथ फीस की आवश्यकता है ।

शब्दों का संक्षिप्त रूप :

एल.एच.ए = लोकल हाउसिंग एथोरिटी

ई.डी.एम.ओ = एम्पटी डवैलिंग मैनेजमेन्ट आर्डर

क्रम संख्या	हाउसिंग एक्ट 2004 की धाराएं	आवेदन पत्र का प्रकार	अपील की समय सीमा
1	सेक्शन 133	अस्थायी ई.डी.एम.ओ ई.डी.एम.ओ के अधिकारों के लिए एल.एच.ए का आवेदन	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
2	सेक्शन 138(1)	तृतीय पार्टी को अनुकम्पा का हस्तक्षेप सहित अधिकार जब अन्तरिम ई.डी.एम.ओ प्रभावी हो तृतीय पार्टी द्वारा एक आदेश के लिए आवेदन जबकि अन्तरिम ई.डी.एम.ओ प्रभावी हो , एल.एच.ए डवैलिंग के संबन्ध में अधिकारों के साथ ई.डी.एम.ओ के फॉसले में किसी हस्तक्षेप के संबन्ध में एल.एच.ए अनुकम्पा किसी का भुगतान करेगा ।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
3	अनुसूची 7, पैरा 1(7)	अन्तिम तारीख समाप्त होने के बाद ई.डी.एम.ओ को जारी रखना जब तक अन्तिम ई.डी.एम.ओ बदल कर नहीं आ जाता तब तक अन्तरिम ई.डी.एम.ओ अधूरी अपील को समाप्त करने के लिए हाउसिंग एक्ट 2004 के पैराग्राफ 26 के अनुसूची 7 के अर्न्तगत प्रभावी रहना चाहिये ।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
4	अनुसूची 7, पैरा 2(3)(d) or पैरा 10(3)(d)	लाइसेन्स अथवा लीज का निर्धारण जब एच अन्तरिम ई.डी.एम.ओ प्रभावी हो तो लाइसेन्स अथवा लीज के निर्धारण के आदेश के लिए एल.एच.ए का प्रार्थना पत्र ।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
5	अनुसूची 7, पैरा 5(7)	खातों के खर्चों के समायोजन का आदेश असली मालिक द्वारा आदेश की घोषणा के लिए प्रार्थना पत्र कि खातों में जो राशि खर्चों के लिए दिखायी गयी है वह वास्तव में वैधानिक नहीं है और अथोरिटी को जरूरत है कि ऐसे खर्चों को (खातों में या अन्य कहीं ) समायोजित करे जैसा कि ट्रिब्यूनल की घोषणा में ये दिखाया जाना जरूरी है ।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
6	अनुसूची 7, पैरा 9(8)	अन्तिम तारीख समाप्त होने के बाद अन्तरिम ई.डी.एम.ओ को जारी रखना जब तक अन्तिम ई.डी.एम.ओ बदल कर नहीं आ जाता तब तक अन्तरिम ई.डी.एम.ओ अधूरी अपील को समाप्त करने के लिए हाउसिंग एक्ट 2004 के पैराग्राफ 26 के अनुसूची 7 के अन्तरिम ई.डी.एम.ओ को प्रभावी रहना चाहिये ।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
7	अनुसूची 7 पैरा 14(1)	आदेश कि एल.एच.ए अन्तिम ई.डी.एम.ओ में प्रबन्धकीय स्कीम के अनुरूप प्रबन्ध करेगी । प्रभावित व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना इस आदेश की जरूरत के लिए कि एल.एच.ए अन्तिम ई.डी.एम.ओ के अनुसार प्रबन्ध करे ।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
8*	अनुसूची 7, पैरा. 26(1)(a) or (b)	अन्तिम ई.डी.एम.ओ के विरुद्ध अपील अन्तिम ई.डी.एम.ओ बनाने के एल.एच.ए के निर्णय या ई.डी.एम.ओ की शर्तों के विरुद्ध (प्रबन्धकीय स्कीम की शर्तों को शामिल करते हुये जो इसमें मौजूद हैं) एक अपील ।	28 दिन
9	अनुसूची 26, पैरा 1(c)	अन्तरिम ई.डी.एम.ओ की शर्तों के विरुद्ध अपील अन्तरिम ई.डी.एम.ओ की शर्तों के विरुद्ध अपील (इस आधार पर कि हाउसिंग एक्ट 2004 के अनुसूची 7 के पैराग्राफ 5(5)(ए) और (बी) में दर्ज कारणों में एक को उपलब्ध नहीं कराता ।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं

जारी.

**अनुलग्नक 1: एमटी डेवलपिंग मैनेजमेंट आर्डर के संदर्भ में हाउसिंग एक्ट 2004 के आधीन रेजिडेंशियल प्रापर्टी ट्रिब्यूनलस के आवेदन पत्रों की सूची । (जारी है)**

क्रम संख्या	हाउसिंग एक्ट 2004 की धाराएं	आवेदन पत्र का प्रकार	अपील कीसमय सीमा जहां उल्लेख किया हो
11*	अनुसूची 7, पैरा. 30	एल.एच.ए द्वारा अन्तरिम या अन्तिम ई.डी.एम.ओ को परिवर्तित करने से इन्कार अन्तरिम और अन्तिम ई.डी.एम.ओ के रूपान्तर के एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध अपील	28 दिन
12*	अनुसूची 7, पैरा. 30	एल.एच.ए द्वारा अन्तरिम या अन्तिम ई.डी.एम.ओ को रद्द करना एल.एच.ए द्वारा अन्तरिम या अन्तिम ई.डी.एम.ओ को रद्द करने के निर्णय के विरुद्ध अपील ।	28 दिन
13*	अनुसूची 7, पैरा. 30	एल.एच.ए द्वारा अन्तरिम या अन्तिम ई.डी.एम.ओ को निरस्त करने से इन्कार अन्तरिम और अन्तिम ई.डी.एम.ओ के निरस्त के एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध अपील	28 दिन
14*	अनुसूची 7, पैरा. 34(2)	तीसरी पार्टी की अनुकम्पा के लिए एल.एच.ए के निर्णय पर ई.डी.एम.ओ का हस्तक्षेप सहित प्रभाव एक्ट के संकशन 136(4) या 136(8) के अन्तर्गत एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध अपील . अन्तिम ई.डी.एम.ओ के प्रभाव के अनुसार डेवलपिंग के सन्दर्भ में उसके हस्तक्षेप के अधिकारों सहित तीसरी पार्टी को अनुकम्पा भुगतान योग्य होनी चाहिए जहाँ ये सन्दर्भित हैं अगर हाँ तो कितनी ।	28 दिन

**अनुलग्नक 2: प्राथना पत्र साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जारी है)**

आवेदन पत्र नम्बर	शामिल किए जाने वाले दस्तावेज
1	<p>ए) अस्थायी ई.डी.एम.ओ के ड्राफ्ट की प्रतिलिपी</p> <p>बी) साक्ष्य का बयान मामले के संदर्भ में,</p> <p>i. जिसमें सेक्शन 134(2) के अन्तर्गत ट्रिब्यूनल को सन्तुष्ट होना चाहिए ।</p> <p>ii. एकट के सेक्शन 133(4) में वर्णित अधिकार और महत्व के सोच विचार करने के एल.एच.ए के बयान</p> <p>और</p> <p>सी) जहाँ एल.एच.ए ने उपयुक्त मालिकों को सूचना दी हो कि एक अस्थायी ई.डी.एम.ओ बनाने का विचार किया जा रहा था . की एक प्रतिलिपी</p>
2	<p>ए) अस्थायी ई.डी.एम.ओ की प्रतिलिपी</p> <p>बी) एल.एच.ए के सेक्शन 138(4) के अनुरूप निर्णय होने के अधिसूचना की प्रतिलिपी ।</p> <p>तथा</p> <p>सी) पूरा विवरण देते हुये एक बयान</p> <p>i) अधिकारों के संदर्भ में जो दावा किया गया हो कि यहाँ अस्थायी ई.डी.एम.ओ के प्रभाव में हस्तक्षेप किया गया</p> <p>तथा</p> <p>ii) हस्तक्षेप के संदर्भ में दावा की गई अनुकम्पा की राशि</p>
3	<p>ए) अस्थायी ई.डी.एम.ओ की प्रतिलिपी</p> <p>तथा</p> <p>बी) अस्थायी ई.डी.एम.ओ बनाने के विरुद्ध एकट के पैरा 26 के अनुसूची 7 के अन्तर्गत नोटिस की अपील की प्रतिलिपी ।</p>
4	<p>ए) अस्थायी या स्थायी ई.डी.एम.ओ (प्रबन्धकीय स्कीम सहित)की प्रतिलिपी</p> <p>बी) प्रासंगिक लाइसेन्स या लीज की प्रतिलिपी अगर उपलब्ध नहीं है तो लाइसेन्स या लीज के मौजूदगी का सबूत</p> <p>तथा</p> <p>सी) निम्नलिखित विवरण सहित बयान</p> <p>i. किसी पट्टे पर देने वाले या पट्टाधारी ,सहपट्टे पर देने वाले या सहपट्टाधारी का नाम व पता अगर जानते हैं ।</p> <p>ii. ये विवरण आप क्यों विश्वास करते हैं कि डवैलिंग कब्जे में नहीं है और सुरक्षा के रूप में डवैलिंग का अधिकार क्यों जरूरी समझते हैं कि डवैलिंग कब्जा कर लिया जाएगा ।</p> <p>iii. अनुकम्पा की राशि (यदि है) जो एल.एच.ए लाइसेन्स या लीज के संदर्भ में निर्धारित भुगतान करना चाहता है इस विवरण सहित कि अनुकम्पा की कितनी गणना की गई है ।</p>
5	<p>ए) अस्थायी ई.डी.एम.ओ की प्रतिलिपी</p> <p>तथा</p> <p>बी) एकट के अनुसूची 7 के पैरा 5(6) के अनुरूप एल.एच.ए द्वारा रखे गए लेखा की प्रतिलिपी ।</p>
6	<p>ए) स्थायी ई.डी.एम.ओ की प्रतिलिपी</p> <p>तथा</p> <p>बी) स्थायी ई.डी.एम.ओ बनाने के विरुद्ध एकट के पैरा 26 के अनुसूची 7 के अन्तर्गत नोटिस की अपील की प्रतिलिपी ।</p>

**अनुलग्नक 2: प्रार्थना पत्र साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जारी है)**

आवेदन पत्र नम्बर	शामिल किए जाने वाले दस्तावेज
7	ए) स्थायी ई.डी.एम.ओ (प्रबन्धकीय स्कीम सहित)की प्रतिलिपी
8	ए) स्थायी ई.डी.एम.ओ (प्रबन्धकीय स्कीम सहित)की प्रतिलिपी तथा सी) जहाँ आवेदन पत्र मैनेजमेन्ट आर्डर की शर्तों से सम्बन्धित है एक बयान जो हर शर्त का उल्लेख करता है कि जो आपत्ति लगाई गई है उसका कारण क्या है।
9	ए) अस्थायी ई.डी.एम.ओ की प्रतिलिपी सी) पैरा 5 (5) (ए)के मामले का बयान जो उस भूमिका से सम्बन्धित है ।
10	ए) अस्थायी या स्थायी ई.डी.एम.ओ की प्रतिलिपी तथा सी) अनुसूची 6 के पैरा 9 तथा 11 के अन्तर्गत एल.एच.ए का नोटिस जो शैड्यूल 7 के पैरा 17 द्वारा अफ़ाई किया गया उसकी प्रतिलिपी ।
11	ए) अस्थायी या स्थायी ई.डी.एम.ओ की प्रतिलिपी तथा सी) अनुसूची 6 के पैरा 14 तथा 16 के अन्तर्गत एल.एच.ए का नोटिस जो अनुसूची 7 के पैरा 17 द्वारा अफ़ाई किया गया उसकी प्रतिलिपी ।
12	ए) अस्थायी या स्थायी ई.डी.एम.ओ की प्रतिलिपी तथा सी) अनुसूची 6 के पैरा 17 तथा 19 के अन्तर्गत एल.एच.ए का नोटिस जो अनुसूची 7 के पैरा 17 द्वारा अफ़ाई किया गया उसकी प्रतिलिपी ।
13	ए) अस्थायी या स्थायी ई.डी.एम.ओ की प्रतिलिपी तथा सी) अनुसूची 6 के पैरा 20 तथा 22 के अन्तर्गत एल.एच.ए का नोटिस जो अनुसूची 7 के पैरा 17 द्वारा अफ़ाई किया गया उसकी प्रतिलिपी ।
14	बी) स्थायी ई.डी.एम.ओ (प्रबन्धकीय स्कीम सहित)की प्रतिलिपी तथा सी) एकट के सेक्शन 138 के अन्तर्गत जहाँ तीसरी पार्टी ने अनुकम्पा के लिए आवेदन किया था , एल.एच.ए के निर्णय की अधिसूचना की प्रतिलिपी जो सेक्शन 138 ( 4 ) के अनुरूप तीसरी पार्टी को दी गई । तथा डी) पूरे विवरण सहित बयान : i अधिकारों के संदर्भ में जो दावा किया गया है वहाँ अन्तिम ई.डी.एम.ओ के प्रभाव में हस्तक्षेप किया गया है । तथा ii अनुकम्पा की राशि

**एनैक्स 3. आर पी टी पैल दफ्तरो के पते**

**NORTHERN RENT ASSESSMENT PANEL**

First Floor, 5 New York Street,  
Manchester M1 4JB

टैलीफोन: 0845 100 2614 or 01612 379491

फैक्स: 0161 237 3656 or 0161 237 9491

यह आफिस नीचे लिखे मैट्रोपोलीटन डिसट्रिक्ट्स को कवर करता है: Barnsley, Bolton, Bradford, Bury, Calderdale, Doncaster, Gateshead, Kirklees, Knowsley, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle-upon-Tyne, Oldham, Rochdale, Rotherham, St. Helens, Salford, Sefton, Sheffield, Stockport, Sunderland, Tameside, Trafford, Tyneside (North & South), Wakefield, Wigan and Wirral.

यह नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Hartlepool, Middlesbrough, Redcar and Cleveland, Darlington, Halton, Blackburn with Darwen, Blackpool, Kingston-upon-Hull, East Riding of Yorkshire, Northeast Lincolnshire, North Lincolnshire, Stockton-on-Tees, Warrington and York.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Cheshire, Cumbria, Durham, Lancashire, and Lincolnshire.

**MIDLAND RENT ASSESSMENT PANEL**

2<sup>nd</sup> Floor, Louisa House, 92-93 Edward Street,  
Birmingham B1 2RA

टैलीफोन: 0121 236 7837

फैक्स: 0121 236 9337

यह आफिस नीचे लिखे मैट्रोपोलीटन डिसट्रिक्ट्स को कवर करता है: Birmingham, Coventry, Dudley, Sandwell, Solihull, Walsall and Wolverhampton.

यह नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Derby, Leicester, Rutland, Nottingham, Herefordshire, Telford and Wrekin and Stoke-on-Trent.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Derbyshire, Leicestershire, Nottinghamshire, Shropshire, Staffordshire, Warwickshire and Worcestershire.

**EASTERN RENT ASSESSMENT PANEL**

Great Eastern House, Tenison Road,  
Cambridge CB1 2TR

टैलीफोन: 0845 100 2616 or 01223 505112

फैक्स: 01223 505116

यह आफिस नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Bracknell Forest, West Berkshire, Reading, Slough, Windsor and Maidenhead, Wokingham, Luton, Peterborough, Milton Keynes, Southend-on-Sea and Thurrock.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk, Northamptonshire, Oxfordshire and Suffolk.

**SOUTHERN RENT ASSESSMENT PANEL**

1<sup>st</sup> Floor, 1 Market Avenue,  
Chichester, PO19 1JU

टैलीफोन: 0845 100 2617 or 01243 779394

फैक्स: 01223 505116

यह आफिस नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Bath and Northeast Somerset, Bristol, North Somerset, South Gloucestershire, Bournemouth, Plymouth, Torbay, Poole, Swindon, Medway, Brighton and Hove, Portsmouth, Southampton and the Isle of Wight.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Cornwall and the Isles of Scilly, Devon, Dorset, East Sussex, Gloucestershire, Hampshire, Kent, Somerset, Surrey, West Sussex and Wiltshire.

**LONDON RENT ASSESSMENT PANEL**

10 Alfred Place,  
London WC1E 7LR

टैलीफोन: 020 7446 7700

फैक्स: 020 7637 1250

यह आफिस सारी लंडन बारो को कवर करता है।